न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

रूक्मणि रियार सिहाग
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
133/अपील/18	26.03.2018	04.11.2019

महावीर आ. हीरालाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम चान्दनहेली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

1. दुर्गालाल आ. हीरालाल जाति मीणा,
   निवासी ग्राम चान्दनहेली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. श्योजी आ. हीरालाल जाति मीणा,
   निवासी ग्राम चान्दनहेली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
3. गोपाल आ. हीरालाल जाति मीणा,
   निवासी ग्राम चान्दनहेली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
4. भूलराज आ. हीरालाल जाति मीणा,
   निवासी ग्राम चान्दनहेली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
5. श्रीमती कजोड बाई पुत्री हीरालाल जाति मीणा,
   निवासी ग्राम चान्दनहेली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
6. श्रीमती सोसर बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा,
   निवासी ग्राम चान्दनहेली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
7. सरपंच, ग्राम पंचायत, देहित , पंचायत समिति तालेडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री ओमप्रकाश वर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 6 की ओर से श्री गिरिराज गोचर, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 8 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पो.सं. 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील तहसीलदार, तालेडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 389 दिनांक 10.06.2006 ग्राम चान्दनहेली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार हीरा आ0 धन्ना कौम मीणा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर, अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 155 रकबा 03 बिस्वा, ख.सं. 361 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, ख.सं. 442 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, ख.सं. 585/324 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम चान्दनहेली में विस्थित है। उक्त भूमि के खातेदार हीरा आ0 धन्ना जाति मीना निवासी चान्दनहेली थे, जिनका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् हल्का पटवारी देहित द्वारा जो सजरा वारिसान का बनाया गया था, उसमें अपीलांट का नाम मिलीभगत से दर्ज न करके केवल मात्र रेस्पो.संख्या 1 लगायत 6 दुर्गालाल, श्योजी, गोपाल, भूलराज पि0 हीरा, कजोडीबाई पुत्री हीरा, सोसर बाई बेवा हीरा कौम मीना का नाम ही खातेदार के रूप में दर्ज किया गया, जिससे रेस्पो. सं.7 ग्राम पंचायत देहित द्वारा खोले गये उक्त नामान्तरकरण में मिलीभगत की वजह से खातेदार के जायन्दा पुत्र अपीलांट का नाम छोड़ दिया गया, जिससे रेस्पो.सं. 8 द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 389 दिनांक 10.06.2006 रेस्पो.सं. 1 लगायत 6 के पक्ष में तस्दीक किया जा सका। जबकि अपीलांट भी मृतक खातेदार हीरा जी. का पुत्र होने की वजह से उक्त नामान्तरकरण में 1/7 हिस्से पर अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी था,किन्तु उक्त नामान्तरकरण में केवल रेस्पो.सं. 1 लगायत 6 का ही नाम दर्ज किया गया, जो अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में अपीलांट महावीर आ0 हीरालाल निवासी चान्दनहेली का आधार कार्ड संख्या 409287482316 पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलांट के नाम पर भी नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 6 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों पर सहमति होने से अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट का नाम भी उसके पिता हीरा आ0 धन्ना कौम मीणा के फोती इन्तकाल में उसके निहित हिस्से 1/7 तक दर्ज किये जाने में रेस्पो.संख्या 1 लगायत 6 को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया, जिससे जाहिर है कि ग्राम चान्दनहेली की आराजी खसरा संख्या किता 4 की आराजी 9 बीघा 09 बिस्वा के खातेदार हीरा वल्द धन्ना कौम मीना थे, खातेदार हीरा का फोती इन्तकाल उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है। इस संबंध में अपीलांट को आपत्ति है कि वह भी मृतक खातेदार हीरा वल्द धन्ना का जायन्दा पुत्र होने से उसका नाम भी फोती इन्तकाल में दर्ज किया जाना चाहिए था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज नहीं किये जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। इसके बाबत रेस्पो.सं. 1 लगायत 6 की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई, अपितु अभिभाषक रेस्पो. सं.1 लगायत 6 द्वारा दौराने बहस दिनांक 23.10.19 को अपील स्वीकार किये जाने में रेस्पो. को "नो ऑब्जेक्शन" होना पत्रावली की आदेशिका में अंकित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध महावीर आ0 हीरालाल निवासी चान्दनहेली के आधार कार्ड संख्या 409287482316 के आधार पर एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित सहखातेदारान् की सहमति के आधार पर अपीलांट महावीर को मृतक खातेदार हीरा का उत्तराधिकारी होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी का विरासत के नामान्तरकरण में नाम दर्ज नहीं किये जाने से उक्त नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया दोषपूर्ण प्रतीत होता है। ऐसे में सभी हितबद्ध पक्षकारान् की सुनवाई की जाकर एवं राजस्व रिकार्ड की जांच की जाकर नये सिरे से आदेश पारित कर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार तालेडा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.389 दिनांक10.06.06 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार तालेडा को प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे मामले में विस्तृत जांच कर, समस्त दस्तावेजात रेकार्ड पर लेते हुए तथा सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश पारित कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 04.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर; बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2019.11.19 11:25:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: